कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

——

क्रमांक / 129 / एक / तक / 2002 भोपाल, दिनांक 14.01.2002

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश

विषयः— औद्योगिक पट्टों के संशोधन पत्रों के फलस्वरूप हो रहे स्टाम्प शुल्क एपं पंजीयन फीस के अपवंचन बाबत।

संदर्भः— इस काय्रालय का पत्र क्रमांक 2623 / एक / तक / 2001 भोपाल दिनांक 18.09.2001

——

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसकी कंडिका एक में आपको निर्देश दिये गये है, कि आपके जिले में पिछले पांच वर्षों में जितने भी पट्टों के ऐसे संशोधन पत्र पंजीबद्ध हुए हों, उनकी सूची तैयार करें तथा इनके आधार पर अपने जिले के जिला उद्योग केन्द्रों एवं ए.के.व्ही.एन. कार्यालयों में उक्त से संबंधित प्रकरणों की जांच करें एवं जांच के दौरान पाये गये अन्तरण पत्र, करारनामें आदि पर कापी स्टाम्प शुल्क की राशि वसूल करने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें।

आपसे इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार सूची तैयार कर इसके आधार पर अब तक आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दिनांक 31.01.2002 तक इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति तथा जानकारी की एक प्रति आगामी बैठक में अपने साथ लाना भी सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश